न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 9/2019

उनवान

हरविलास पुत्र रामगोपाल जाति महाजन निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.9.20

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 173 रकबा 0.92 हेक्टेयर है। प्रार्थी उक्त आराजी पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है।

उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। किन्तु बैलगाडी व जानवरों के आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 225 व उसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रार्थी द्वारा कदीम से उपयोग किया जा रहा है। उक्त सिवायचक आराजी में से 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलवाये जाने की कृपा करे। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस तहसीलदार नसीराबाद ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस खसरा नम्बर मे से रास्ता चाहा है उस खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2260 की भूमि को राजकीय प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित करने का प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित कर दिया है व सम्बन्धित दस्तावेज भी पेश किये गये।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। उक्त खसरा नम्बर मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगता हुआ है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2260 की आराजी राजकीय प्रयोजनार्थ सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को हाजा कार्यालय के पत्र कंमाक/राजस्व/20/3202 दिंनाक 14.09.20 द्वारा भिजवाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के खसरा नम्बर 225 रकबा 0.2260 की आराजी पर प्रार्थी पर प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:48:44 IST
Reason: SelfAttested